एम.ए.सी.पी. संख्या २२०/२०१७,
राम सेवक शुक्ला उम्र ५८ वर्ष पुत्र बाबू लाल शुक्ला निवासी खिदरपुरा पोस्ट नगरा तहसील टहरौली थाना गुरसरांय जिला झाँसी

-------याची

प्रति

१. आशा कन्सट्रक्शन पता गढ़व पोस्ट रेवन तहसील व थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी

........वाहन स्वामी ट्रक नं. यू. पी. ९३ ए टी ०९३४

२. शिया शरण पुत्र सीताराम नि. भदरवारा तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी

........चालक ट्रक नं. यू. पी. ९३ ए टी ०९३४

३. टाटा ए. आई. जी. जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पता एस. बी. आई. क्रेडिट ब्रान्च के पीछे बाबू लाल कारखाना कम्पाउण्ड ग्वालियर रोड, झाँसी

.......बीमा कम्पनी ट्रक नं. यू. पी. ९३ ए टी ०९३४

-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री राज तिलक सक्सेना

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा राम सेवक शुक्ला को मोटर वाहन दुर्घटना मे आयी उपहति पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है।पत्रावली आदेश हेतु नियत है। याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता को ३९बी राजीनामा पर विगत नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याची राम सेवक व विपक्षी सं. ३ टाटा ए. आई. जी. जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के मध्य हुआ सुलहनामा ३९बी उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा विगत नियत तिथि को तस्दीक किया जा चुका है। ३९बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ १०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३९बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा ३९बी में दर्शित कुल ₹ १०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ३९बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा ३९बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३९बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ टाटा ए. आई. जी. जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि मुबलिग ₹ **१०,००० (दस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Syndicate Bank A/c 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर धनराशि जमा होने पर याची जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:53:21 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi